



290



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र.

/16 निगरानी A70-3875-II/16

अमिता माथुर पत्नि नरेन्द्र कुमार माथुर उम्र 54
वर्ष व्यवसाय गृहणी, निवासी ग्राम मढ़ी कानूनगो
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

आवेदिका

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. श्रीमती विमला माथुर पत्नि स्व. वीरेन्द्र
माथुर निवासी 329, श्रीनगर एक्सटेंशन न्यू
पलासिया इन्डौर (म.प्र.)
3. ओमप्रकाश माथुर पुत्र स्व. यशवंतराय
माथुर निवासी 18 शिवाजी नगर सिविल
लाईंस, जयपुर (राज.)
4. अरविन्द कुमार माथुर पुत्र स्व. यशवंतराय
माथुर निवासी सी-2/57 एस.एफ.एस.
मानसरोवर, जयपुर (राज.)
5. उमेश माथुर पुत्र स्व. यशवंतराय माथुर
निवासी 12/89, मालवीय नगर, जयपुर
(राज.)
6. अरुण माथुर पुत्र पुत्र स्व. यशवंतराय
माथुर निवासी मढ़ी कानूनगो, हाल निवास,
हनुमान कॉलोनी, गुना (म.प्र.)
7. श्रीमती उमा माथुर पुत्री स्व. यशवंतराय
माथुर पत्नी श्री दिनेश चन्द्र माथुर निवासी
180, काशीपुरी, भीलवाड़ा (राज.)
8. श्रीमती आशा माथुर पुत्री स्व. यशवंतराय
माथुर पत्नी स्व. श्री राममोहन माथुर
निवासी 17-18 न्यू कॉलोनी, बूंदी (राज.)

दिनांक 15-11-16 को
श्री न्याय श्रीवाच्चन न्यू
कानून अवृत्त
वा
15-11-16
50

526
15-11-16

Bhivanshav
Pradeep Kumar Bhivanshav
IAmro etc

3

9. श्रीमती शशी माथुर पुत्री स्व. यशवंतराय माथुर पत्नी श्री प्रमोद माथुर निवासी चित्रकूट, सिंचाई कॉलोनी, किरखेड़ा चित्तौडगढ़ (राज.)
10. श्रीमती प्रभा माथुर पुत्री स्व. यशवंतराय माथुर पत्नी श्री देवेन्द्र माथुर निवासी फ्लैट नं. 6 न्यू खन्ना मार्केट, लोधी रोड, न्यू दिल्ली

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 22.8.16 एवं पंजी क्रमांक 1 दिनांक 5.8.16 एवं नायब तहसीलदार शाढौरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 64अ6/15-16 में पारित आदेश दिनांक 11.11.16

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से निगरानी निम्न तथाओं पर आधारों पर गमनन है—

न्यायालय 'राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.3875—दो / 2016

जिला—अशोकनगर

अमिता माथुर विरुद्ध म.प्र. शासन अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाशवा। आदि के हस्ताक्षर
३०.९.१९	<p>प्रकरण आज लिया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, शाढ़ौरा जिला—अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 64अ6 / 15—16 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू— राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27.07.2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25.09.2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा —54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 30.09.2019 को कलेक्टर, अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>  